मध्यप्रदेश शासन
संसदीय कार्य विभाग
(विंध्याचल भवन, द्वितीय तल, भोपाल–462004)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अध्याय–1 (प्रस्तावना)

इस हस्तपुस्तिका का उद्देश्य विभाग तथा इसके अन्तर्गत कार्यरत पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की समस्त जानकारी उपलब्ध कराना है।

यह शासन के विभागों तथा सामान्यजन के लिए उपयोगी है।

इसके संबंध में उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग (लोक सूचना अधिकारी) तथा उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग (सहायक लोक सूचना अधिकारी) संपर्क अधिकारी हैं।

अध्याय–2 (मैनुअल–1)
संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

इसमें उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु नियमानुसार शुल्क देय होगा।

विभाग का मुख्य उद्देश्य विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करते हुए विधान सभा को संबंधित विभागों से जानकारी यथासमय उपलब्ध कराना है।

विभिन्न अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में संसदीय कार्य विभाग की स्थापना वर्ष 1986 में की गई है। विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:–

(1) विधान सभा का सत्रारंभ, उसका सत्रावसान तथा उसे भंग करना एवं विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए दिन निर्धारित करना।

(2) विधान सभा में विधायी तथा अन्य शासकीय कार्य का आयोजन तथा समन्वय।

(3) सदस्यों ने जिन प्रस्तावों पर सूचना दी है उन पर विचार करने के लिए सभा में शासकीय समय का आवंटन।

(4) दलों के नेताओं और सचेतकों के साथ सम्पर्क।

(5) विधेयकों पर प्रवर समितियों के लिये सदस्यों का चयन।

(6) शासन द्वारा स्थापित समितियों और अन्य निकायों में विधान सभा सदस्यों की नियुक्ति।

(7) विभिन्न विभागों के लिये विधान सभा सदस्यों की परामर्श समितियों का संचालन।

(8) मंत्रियों द्वारा विधान सभा में दिए गए आश्वासनों का क्रियान्वयन।

(9) गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर शासन की स्थिति।

(10) संसदीय मामलों में मंत्रि–मण्डल को सचिवालयीन सहायता।

(11) प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य संसदीय मामलों में विभाग को परामर्श।

(12) विधान सभा समितियों द्वारा की गई सामान्य रुप से लागू होने वाली अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का समन्वय।

(13) दर्शनीय स्थलों पर विधान सभा सदस्यों के लिये शासकीय रुप से प्रायोजित दौरे।

(14) विधान सभा सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों से संबंधित मामले।

(15) संसदीय सचिव – उनके कार्य।

(16) अधिसूचनाओं, नियमों तथा अध्यादेश आदि को सदन के पटल पर रखना।

(17) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्य।

(18) अध्यक्ष के परामर्श से विधान सभा सदस्यों के लिए सेमीनार, परिचर्या एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(19) विधान सभा सदस्यों के लिए सुविधाएं।

(20) संसदीय विषयों से संबंधित संवैधानिक मामले।

(21) संसदीय विषयों पर भारत सरकार तथा अन्य राज्यों से प्राप्त संदर्भ।

(22) राज्य विधान सभा तथा संसद के सदस्यों को शासकीय प्रकाशनों, मैन्युअल्स तथा प्रतिवेदनों का प्रदाय।

(23) विधान सभा में उठाई गई ध्यानाकर्षण सूचनाओं अथवा मध्य प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 267–क के तहत दी गई सूचनाओं के अन्तर्गत सदस्यों के उत्तरों की जानकारी दिलाने हेतु अनुगमन।

(24) विलोपित।

(25) ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (विधान सभा सचिवालय की सेवा से संबंधित अथवा वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर)।

उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्‌टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन (मेमोरियल)।

(26) (अ) नियमन तथा संशोधन के लिये विभाग से संबंधित अधिनियम और नियम–

(1) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 और नियम

(2) मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 और नियम

(3) मध्यप्रदेश विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 और नियम

(4) मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 और नियम

(5) मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम, 1995

(आ) विभाग के अधीनस्थ आने वाले संचालनालय और कार्यालय –

कुछ नहीं।

(इ) अधिनियम के अधीनस्थ स्थापित मण्डल तथा निगम –

कुछ नहीं।

(ई) ऊपर (इ) के अन्तर्गत न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा मण्डल –

पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ।

(उ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो तथा विशेष सेवा नियम, यदि कोई हो –

(1) मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा.

(2) विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा.

इस विभाग का आम जनता से कोई सीधा संपर्क नहीं है। विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को संसदीय विषयों में परामर्श दिया जाता है। साथ ही, मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन एवं अन्य सुविधाओं संबंधी अधिनियमों के नियमन एवं संशोधन का कार्य किया जाता है।

यह विभाग सामान्यतः मंत्रि–मंडल स्तर के मंत्री के अधीन रहता है तथा इसके पदेन प्रमुख सचिव/सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। विभाग में एक अपर सचिव, एक उप सचिव, दो अवर सचिव, दो अनुभाग अधिकारी, एक निजी सचिव एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 40 पद हैं।

विभाग के अन्तर्गत कोई विभागाध्यक्ष, संभाग एवं जिला कार्यालय कार्यरत नहीं है। इसके अन्तर्गत पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ है, जो भोपाल में कार्यरत है। विभाग एवं संसदीय विद्यापीठ के कार्य का समय 10.30 से 5.30 बजे तक है।

अध्याय–3 (मैनुअल–2)
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य सचिवालय मैनुअल के अनुसार हैं।

प्रमुख सचिव विभाग प्रमुख, उप सचिव कार्यालय प्रमुख तथा उप सचिव आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। इन्हें वे शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख वित्तीय संहिता एवं प्रशासकीय आदेशों में है।

अध्याय–4 (मैनुअल–3)
कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

विभाग एवं संसदीय विद्यापीठ के कृत्यों के निर्वहन हेतु मुख्यतः निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जाता है –

(1) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 और नियम,

(2) मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 और नियम,

(3) मध्यप्रदेश विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 और नियम,

(4) मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 और नियम,

(5) मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम, 1995,

(6) संसदीय कार्य नियमावली,

(7) विभाग द्वारा जारी आदेश,

(8) संसदीय विद्यापीठ का प्रशिक्षण कैलेण्डर तथा प्रकाशन।

उक्त सामग्री नियमानुसार शुल्क देय करने पर प्रदान की जा सकेगी।

अध्याय–5 (मैनुअल–4)
नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

नीति–निर्धारण के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है।

विभागीय परामर्शदात्री समिति में माननीय विधायकों को सदस्य के रूप में नाम–निर्देशित किया जाता है। इस समिति की बैठक में विभागीय कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संबंध में माननीय विधायकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर यथासंभव कार्रवाई की जाती है।

अध्याय–6 (मैनुअल–5)

विभाग के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

विभाग के दस्तावेज विभाग से तथा संसदीय विद्यापीठ के दस्तावेज विद्यापीठ से प्राप्त किए जा सकते हैं।

अध्याय–7 (मैनुअल–6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

इस विभाग के अन्तर्गत ''पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ'' है, जो पुराना विधान सभा परिसर, भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी।

विद्यापीठ की नियमावली में प्रबंधकारिणी समिति एवं साधारण सभा के गठन का प्रावधान है। इनमें आम जनता भाग नहीं ले सकती है । विद्यापीठ के पदेन अध्यक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, पदेन महानिदेशक प्रमुख सचिव/सचिव, संसदीय कार्य विभाग हैं। साथ ही, संचालक, व्याख्याता, उप संचालक, शोधअधिकारी तथा 12 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।

संसदीय विद्यापीठ के उद्देश्य निम्नानुसार हैंः–

(1) संसदीय लोकतंत्र के संबंध में लोक रूचि को जागृत करने के लिए जन–संचार माध्यमों का उपयोग।

(2) पंचायतों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विधान–मंडल के नव–निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उसके लिए साहित्य तैयार करना।

(3) संसद/विधान मंडल/अन्य प्रतिनिधि संस्थाओं की कार्यवाही को प्रतिवेदित करने वाले पत्रकारों को प्रशिक्षण।

(4) विधान–मंडल सचिवालय एवं अन्य शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय तथा गैर–सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

(5) शालेय और महाविद्यालयीन स्तर पर जिला/संभागीय एवं राज्य स्तरीय आदर्श संसद प्रतियोगिता का आयोजन करना।

(6) देश के विभिन्न विधान–मंडलों के प्रक्रिया नियमों/अध्यक्षीय आदेशों, परिपाटियों का सार–संग्रह तैयार करना और उसका प्रकाशन।

(7) संविधान और संसदीय लोकतंत्र से संबंधित सैद्धांतिक विषयों पर इंटरफैकल्टी शोध कार्य संपादित करना।

(8) संसदीय विषयों पर निबंध/लेख प्रतियोगिता/वाद–विवाद/सेमीनार आयोजित करना।

(9) संसदीय संग्रहालय एवं अभिलेखागार की स्थापना करना।

अध्याय–8 (मैनुअल–7)

अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां सहायक लोक सूचना अधिकारी –

नाम एवं पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष		फैक्स	पता
		कार्यालय	निवास		
श्री राजेश गुप्ता, उप सचिव	0755	2441102	24699518	2441102	विंध्याचल भवन, द्वितीय तल,भोपाल

लोक सूचना अधिकारी –

नाम एवं पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष		फैक्स	पता
		कार्यालय	निवास		
श्री एल.सी.मोटवानी, उप सचिव	0755	2441039	2543858	2441102	विंध्याचल भवन, द्वितीय तल,भोपाल

संसदीय विद्यापीठ के लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

नाम एवं पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष		फैक्स	पता
		कार्यालय	निवास		
श्री एस.एस. यादव, उप संचालक	0755	2576141	–	–	पुराना विधान सभा परिसर, भोपाल

लोक सूचना अधिकारी –

नाम एवं पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष		फैक्स	पता
		कार्यालय	निवास		
श्री एल.सी. मोटवानी, संचालक	0755	2576141	2543858	–	पुराना विधान सभा परिसर, भोपाल

विभाग एवं संसदीय विद्यापीठ के अपीलीय प्राधिकारी

नाम एवं पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष		फैक्स	पता
		कार्यालय	निवास		
श्रीमती आभा अस्थाना अपर मुख्य सचिव	0755	2441675	2441558	2573931	कक्ष क्र. 210 वल्लभ भवन, भोपाल

अध्याय–9 (मैनुअल–8)
निर्णय लेने की प्रक्रिया

अधिकारियों द्वारा सचिवालय मैनुअल, मध्यप्रदेश शासन के कार्यपालिक नियम, प्रशासकीय आदेशों आदि का उपयोग किया जाता है।

अध्याय–10 (मैनुअल–9)
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

इस विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर कोई कार्यालय कार्यरत नहीं है।

अध्याय–11 (मैनुअल–10)
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क्र.	नाम	पदनाम	वेतनमान
1.	श्री एल.सी. मोटवानी	उप सचिव	15600–39100 + 7600 ग्रेड पे
2.	श्री राजेश गुप्ता	उप सचिव	15600–39100 + 7600 ग्रेड पे
3.	श्री महेन्द्र सोनूने	अवर सचिव	15600–39100 + 6600 ग्रेड पे
4.	श्री बी.आर. शर्मा	अनुभाग अधिकारी	9300–34800+ 4200 ग्रेड पे
5.	श्री एम.के. राजोरिया	अनुभाग अधिकारी	9300–34800+ 4200 ग्रेड पे
6.	श्री रविनीश तिवारी	निजी सचिव	9300–34800+ 4200 ग्रेड पे
7.	कु. छाया लोनारे	निजी सहायक	9300–34800+ 3600 ग्रेड पे
8.	श्री रविन्द्र महाडिक	सहायक ग्रेड–1	9300–34800+ 3600 ग्रेड पे
9.	श्री शिव कुमार द्विवेदी	सहायक ग्रेड–1	9300–34800+ 3600 ग्रेड पे
10.	श्री शिव कुमार तिवारी	सहायक ग्रेड–1	9300–34800+ 3600 ग्रेड पे
11.	श्री वी.के. नाथानी	सहायक ग्रेड–1	9300–34800+ 3600 ग्रेड पे
12.	श्री हल्कू सिंह पन्द्रो	सहायक ग्रेड–1	9300–34800+ 3600 ग्रेड पे
13.	श्री धर्मचन्द पटेल	सहायक ग्रेड–2	5200.–20200+ 2400 ग्रेड पे
14.	श्री झनक सिंह पाल	सहायक ग्रेड–2	5200.–20200+ 2400 ग्रेड पे
15.	श्री महासिंह मरावी	सहायक ग्रेड–2	5200.–20200+ 2400 ग्रेड पे
16.	श्री नामदेव डिगरसे	सहायक ग्रेड–2	5200.–20200+ 2400 ग्रेड पे
17.	श्री एवन कुमार धुर्वे	सहायक ग्रेड–2	5200.–20200+ 2400 ग्रेड पे
18.	श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना	सहायक ग्रेड–3	5200.–20200+ 1900 ग्रेड पे
19.	श्री प्रभुनाथ	सहायक ग्रेड–3	5200.–20200+ 1900 ग्रेड पे
20.	श्री राजूमुंजेवार	सहायक ग्रेड–3	5200.–20200+ 1900 ग्रेड पे

21.	श्री देवेन्द्र सिंह दीवान	सहायक ग्रेड–3	5200.–20200+ 1900 ग्रेड पे
22.	श्री पी. रोबिन	सहायक ग्रेड–3	5200.–20200+ 1900 ग्रेड पे
23.	कु. कृष्णा थापा	सहायक ग्रेड–3	5200.–20200+ 1900 ग्रेड पे
24.	श्री श्रीराम नेताम	वाहन चालक	5200.–20200+ 1900 ग्रेड पे
25.	श्री पन्नालाल जोशी	दफ्तरी	4440–7440+1400+ 50 विशेष वेतन ग्रेड पे
26.	श्री रामप्यारे	दफ्तरी	4440–7440+1400+ 50 विशेष वेतन ग्रेड पे
27.	श्री कविराज गैरे	जमादार	4440–7440+1400 ग्रेड पे
28.	श्रीमती अलका नरवड़े	भृत्य	4440–7440+1300 ग्रेड पे
29.	श्री सुशील मण्डल	भृत्य	4440–7440+1300 ग्रेड पे
30.	श्री सिद्धनाथ द्विवेदी	भृत्य	4440–7440+1300 ग्रेड पे
31.	श्री रमेश पाटिल	भृत्य	4440–7440+1300 ग्रेड पे

अध्याय–12 (मैनुअल–11)
आवंटित बजट

संसदीय कार्य विभाग गैर–योजना विभाग है। वर्ष 2011–2012 के बजट की जानकारी निम्नानुसार है, जिसमें संसदीय विद्यापीठ को देय अनुदान भी सम्मिलित हैः–

मद	स्वीकृत बजट
11–वेतन	1,09,80,000
12–मजदूरी	00
21–यात्रा व्यय	35,000
22–कार्यालय व्यय	7,50,000
24–परीक्षा एवं प्रशिक्षण	5,000
6546 – पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के लिए सहायक अनुदान–42 सहायक अनुदान	60,00,000
6582 – भारतीय संसदीय संघ की गतिविधियों के लिए म.प्र. की शाखा को सहायक अनुदान – 42 सहायक अनुदान	1,00,000
31– व्यवसायिक सेवकों हेतु अदाय किया	26,000
53 – डिक्रीधन का भुगतान	10,000
कुल योग मतदेय भारित	1,77,97000 10,000

अध्याय–13 (मैनुअल–12)
अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

विभाग द्वारा कोई अनुदान/राज सहायता कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है।

अध्याय–14 (मैनुअल–13)
रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्त्ताओं के संबंध में विवरण

विभाग द्वारा किसी प्रकार की रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाता है।

अध्याय–15 (मैनुअल–14)
कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

म.प्र. सचिवालयीन पुस्तिका तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर निर्धारित किए गए कृत्यों का अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किया जाता है।

अध्याय–16 (मैनुअल–15)
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

विभाग की वेबसाईट www.mp.nic.in/parliamentaryaffairs पर उपलब्ध है, जिसमें विभाग एवं संसदीय विद्यापीठ का परिचय, कार्य, अधिकारियों की जानकारी, बजट, संसदीय कार्य नियमावली, आदि की जानकारी उपलब्ध हैं।

अध्याय–17 (मैनुअल–16)
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

विभाग का आम जनता से सीधा संपर्क नहीं है। विभाग का मुख्य कार्य विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच समन्वय की भूमिका का निर्वहन करना है। विभाग में पुस्तकालय नहीं है, किन्तु विभाग से संबंधित कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं।

अध्याय–18 (मैनुअल–17)
अन्य उपयोगी जानकारियां

विभाग द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

विभाग के अधीन कार्यरत पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल द्वारा शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों, छात्र/छात्राओं आदि के लिए ''संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति'' के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिनमें प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।